शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) शहरी मूलभूत सेवा योजना (यू.बी.एस.) 1990 में संशोधित की गई थी तथा निर्धनों के लिए शहरी मूलभूत सेवा (यू. बी.एस.पी.) नामक एक नई योजना 1990–91 में प्रारंभ की गई थी। राज्य सरकार द्वारा निर्धनों के लिए शहरी मूलभूत सेवा योजना के अंतर्गत 1990–91 और 1991–92 के दौरान निम्नलिखित 22 शहरों को लिया गया है :–

1. लखनऊ
2. कानपुर
3. आगरा
4. इलाहाबाद
5. वाराणसी
6. मेरठ
7. बरेली
8. गोरखपुर
9. फैजाबाद
10. फतेहपुर
11. फरूखाबाद
12. बलिया
13. अलीगढ़
14. मुरादाबाद
15. मिर्जापुर
16. शाहजहानपुर
17. गाजियाबाद
18. हरदोई
19. हापुड
20. फिरोजाबाद
21. गोंडा
22. मथुरा ।

(ख) राज्य के भीतर विभिन्न नगरों को केंद्रीय निधियों का नियतन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। शहरी मूलभूत सेवा/निर्धनों के लिए शहरी मूलभूत सेवा योजनाएं अनुभव की जा रही स्लम निवासियों की आवश्यकताओं के अनुसार कार्यान्वित की जाती हैं और इस प्रकार कार्य की प्रकृति और सीमा नगर-दर-नगर भिन्न है। वर्ष 1990–91 और 1991–92 के दौरान उत्तर प्रदेश को शहरी मूलभूत सेवा निर्धनों के लिए शहरी मूलभूत सेवा योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए क्रमशः 410 लाख रु० और 357.60 लाख रु० की केंद्रीय निधियां रिलीज की गई थी।

गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे लोगों को आवास निर्माण हेतु सहायता

1749. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों को आवास-निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय सरकार की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस कार्य हेतु उत्तर प्रदेश को कितनी धनराशि आवंटित की गई हैं ; और

(घ) वर्ष 1992 के दौरान कितने आवास बनाए जाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) केंद्र की नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत सातवीं पंचवर्षीय योजना से आवास और आश्रय सुधार के लिए सहायता उपलब्ध है जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को उनके मकानों के सुधार के लिए राज्य और स्थानीय अभिकरणों के माध्यम से 800 रुपए प्रति मकान की दर से केन्द्रीय सब सीडी के साथ 3000 रुपए तक हुडको ऋण और 200 रुपए की दर से राज्य सरकार की सबसीडी दी जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों के परिवारों के लिए मकान बनाने हेतु राष्ट्रीयस्तर 100 प्रतिशत पर केंद्रीय सहायता के प्रावधान की इंदिरा

आवास योजना है । इस योजना के अंतर्गत राज्य एजेंसियों को निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर कुल निर्माण एवं सेवा लागत नियत सीमा और मानकों के अनुसार समुचित किस्तों में अनुदान के रूप में दी जाती है । 1992 से प्रभावी संशोधित लागत अधिकतम सीमा इस प्रकार है :—

(i) मकान निर्माण —8000 रुपए (9800 रुपए दुर्लभ क्षेत्रों में)

(ii) स्वच्छ शौचालयों और धुआं रहित चूल्हों का निर्माण—1400 रुपए

(iii) मूलभूत और जन सुविधाओं का प्रावधान—3300रु०

(ग) उत्तर प्रदेश बात अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :—

आश्रय सुधार

वर्ष	हुडको ऋण आवंटन	स्वीकृत केन्द्रीय सबसीडी	इन्दिरा आवास योजना
89–90 . . .	1801.73	480.46	3102.37
90–91 . . .	1884.38	504.50	2487.25
91–92 . . .	1720.58	215.50	2487.25

(घ) आश्रय सुधार योजना के अंतर्गत 1992–93 के दौरान 1,45,202 मकानों के सुधार के लिए सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव हैं । इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत 1992–93 का लक्ष्य 18448 मकान है ।

उत्तर प्रदेश के छोटे और मध्यम दर्जे के शहरों के लिए एकीकृत योजना

1750. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एकीकृत योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में वर्ष 1991–92 के दौरान किसी भी छोटे और मध्यम दर्जे के शहर का चयन नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उत्तर प्रदेश के उन शहरों के क्षेत्र वार नाम क्या क्या हैं जिनका चयन किये जाने की सिफारिश की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) :(क) और (ग) वित्त वर्ष 1991–92 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता क्रम में निम्नलिखित कस्बों का चयन किया गया था जिनमें से प्रथम छ कस्बों तथा मुज्जफरनगर (एन सी यू कस्बा) को छोटे एवं मध्यम दर्जे के कस्बों के एकीकृत विकास की योजना (आई डी एस एम टी) के अंतर्गत शामिल किया गया है तथा केन्द्रीय सहायता रिलीज कर दी गई है :

कस्बा	जिला
1. कोसीकलां	मथुरा
2. सिकंदराबाद	बुलन्दशहर
3. विलासपुर	रामपुर